I/302959/2023

File No.:HPFD-F05/96/2023-FCA
वन विभाग हिमाचल प्रदेश।

प्रेषक: नोड़ल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0)हि0प्र0।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
भारतीय वन सर्वेक्षण, क्षेत्रिय कार्यालय (उत्तरीय),
सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, शिवालिक खण्ड,लौंगबुड,
शिमला, हिमाचल प्रदेश–1710001

दिनांक शिमला–1

विषय: **Diversion of 17.84 Hectare forest land for construction of 132 kV MCT line from 220/132 kV Sub-station Andheri to T-20/21 of existing 132 kV Jamta-Kalaamb transmission line District Sirmaur, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Trans/157184/2022) -Compliance report of stage- 1 approval.**

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या दिनांक 10/10/2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्धातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः–

Sr. No.	Observation	Reply
A	वे शर्तें**,** जिनका राज्य वन विभाग द्वारा वन भूमि सौंपने से पहले अनुपालन करने की आवश्यकता है**:**	-
i.	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए|	प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा ली है |
ii.	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दि ल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 अंतर्गत दि नांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनि श्चि त करेंगी।	राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय नई दि ल्ली द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना सुनि श्चि त किया जाएगा।
iii.	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि नांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नि र्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावि त वन भूमि, **17.84** हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमाकरवाई जाये।	WP (C) No. 202/1995, IA No. 566 में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दि नांक 30.10.2002, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के नि र्देश संख्या 5-3/2011-FC (vol-I) दिनांक 06.01.2022 के अनुसार प्रयोक्ता एजेंसी से प्रस्तावि त वन भूमि, **17.84** हेक्टेयर की नैट प्रजैंट वैल्यु जमा कर ली है।
iv.	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम से	प्रयोक्ता एजेंसी सभी भुगतान राशि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परि वर्तन मंत्रालय की वेबसाइट www.parivesh.nic.in पर केवल ऑनलाइन माध्यम

I/302959/2023

	CAMPA Fund में जमा करवाएगी।	से CAMPA Fund में जमा कर ली है।।
v.	पूर्ण अनुपालन रि पोर्ट e-portal **(**https://parivesh.nic.in/) में अपलोड की जाएगी ।	पूर्ण अनुपालन रि पोर्ट e-portal **(**https://parivesh.nic.in/) में अपलोड कर ली है।।
vi.	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनि श्चि त करना है कि प्रति पूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा किए जाते है और केवल उपयुक्त बैंक में जमा किए जाते है | अन्य माध्यम से जमा की गई राशि को Stage-I clearance के अनुपालन के रूप में स्वीकार नहीं कि या जाएगा I	प्रयोक्ता एजेंसी को यह सुनि श्चि त करना है कि प्रति पूरक शुल्क (सीए लागत, एंनपीवी, आदि) वेब पोर्टल पर ऑनलाइन उत्पन्न चालान के माध्यम से जमा कर ली है।
vii.	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लि ए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र कि "इस मंडल के पास **Stage-I** अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लि ए ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है" प्रस्तुत कि या जाए। इस कार्यालय द्वारा इस प्रस्ताव की अंतिम मंजूरी के लिए उसका अनुपालन अनिवार्य होगा।	प्रयोक्ता एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि संभाग में कोई अन्य प्रस्ताव, जिसके लिए Stage-I पहले ही स्वीकृत किया जा चुका है, Stage-I अनुमोदन की शर्तों के अनुपालन के लि ए अभी भी लंबित नहीं है। इस आशय का एक वचन पत्र अपलोड कर ली है।
viii.	FRA 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बंधि त जि ला कलेक्टर द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के द्वारा कि या जाएगा |	इस आशय का एक वचन पत्र अपलोड कर ली है।
B	वे शर्तें**,** जिनका राज्य वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता एजेंसी को वन भूमि सौंपने के बाद फील्ड में कडाई से पालन करने की आवश्यकता हैं**,** परन्तु अंडरटेकिंग के रूप में अनुपालन स्टेज**-II** अनुमोदन से पहले प्रस्तुत किया जाना है**:-**	-
i.	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी। इस आशय का एक वचन पत्र अपलोड कर ली है।
ii.	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा| यदि muck dumping site प्रस्ताव मे सम्मिलित है, तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा।	काटे जाने वाले बाधक वृक्षों/पौधों की संख्या किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर्शायी गई संख्या से अधिक नहीं होगी और वृक्षों की कटाई के दौरान वन्य जीवों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुचांया जाएगा| यदि muck dumping site प्रस्ताव मे सम्मिलित है, तो वहा का कोई भी वृक्ष पातन नहीं किया जाएगा। इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
iii.	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **36** हे० **(RF Gumti Sambhalwa C-1=20 ha and RF Gumti Sambhalwa C-2=16 ha**) पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा| यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा|	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित सीए योजना के अनुसार **36** हे० **(RF Gumti Sambhalwa C-1=20 ha and RF Gumti Sambhalwa C-2=16 ha**) पर सीए किया जाएगा और धन उपयोग कर्ता एजेंसी द्वारा प्रदान किया जाएगा।अनुमोदन जारी होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर वृक्षा रोपण किया जाएगा| यथासंभव, स्थानीय देशी प्रजाति मिश्रित रूप से रोपित किये जायेंगे एवं किसी भी प्रजाति का monoculture नहीं किया जाएगा|प्रयोक्ता एजेंसी से CA स्कीम के अनुसार प्रति पूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवा कर ली है।|
iv.	प्रस्तावित CA land, यदि राज्य वन विभाग के नाम है, तो उस से संबंधित दस्तावेज तथा IFA 1927 के अंतर्गत अधिसूचित, अन्यथा Proposed PF की प्रति प्रस्तुत करें। अन्यथा, CA land को विधिवत स्वीकृति से पहले राज्य वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित और नामांतरित किया जाए एवं नियमानुसार IFA,	प्रस्तावित वन वन भूमि आरक्षित वन भूमि है। संबंधित दस्तावेज संलगन कर लिए गए है।

I/302959/2023

	1927 के अंतर्गत PF अधिसूचित किया जाए और उस से संबंधित दस्तावेज पेश किये जाए।	
v.	वनमंडल अधिकारी यह सुनिश्चित करे कि इस कार्यालय द्वारा स्वीकृत प्रतिपूर्ति पौधा रोपण के स्थलों को बिना सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के स्वेचछानुसार नहीं बदलेंगे ।	वन मंडल अधिकारी (नाहन) द्वारा इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
vi.	राज्य सरकार वन भूमि को प्रयोक्ता एजेंसी को सौपने से पहले FSI के ई-ग्रीन वॉच पोर्टल में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए स्वीकृत degraded वन क्षेत्र की kml files को अपलोड करेगी ।	वन मंडल अधिकारी (नाहन) द्वारा इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
vii.	वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिये नहीं किया जायेगा।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
viii.	माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार, जब कभी भी NPV की राशि बढाई जायेगी तो उस बढ़ी हुई NPV की राशि को जमा करने के लिए प्रयोक्ता एजेंसी बाध्य होगी और राज्य सरकार बढ़ी हुई राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
ix.	स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्तिथि में किसी अन्य एजेंसी विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा ।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
x.	केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की लेआउट प्लान को बदला नहीं जायेगा।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xi.	वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जायेगा।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xii.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पैमाने उपयोग किये जायेंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करायी जायेगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xiii.	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया पथ नहीं बनाया जाएगा।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xiv.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ कोअधिमानत: वैकल्पिक इंधन उपलब्ध करायेगी, ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके|	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xv.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समहू के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी|	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xvi.	प्रस्तावित संचरण लाइन के लिए "रास्ते के अधिकार" की अधिकतम चौड़ाई वन भूमि पर **27** मीटर होगी|	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xvii.	कंडक्टर तथा पेड़ों के बीच का फासला कम से कम **4.0** मीटर होना चाहिए| कन्डक्टरों के झुकाव तथा झोल को ध्यान में रखा जायेगा| बिजली की निकासी बनाये रखने के लिये जब कभी	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।

I/302959/2023

	आवश्यक होगा तो पेड़ों की काट छांट का कार्यस्थानीय वन मण्डल अधिकारी की अनुमति से किया जायेगा।	
xviii.	प्रयोक्ता एजेंसी जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा उचित स्थानों पर सर्किट ब्रेकर स्थापित करेगी।	यह सूचित किया जाता है कि सर्किट ब्रेकर ट्रांसमिशन लाइन के बीच में उपयोग में नहीं लाया जाता अपितु स्विचयार्ड में लगता है और जंगली जानवरों को बिजली के करंट से बचाने के लिए आवश्यक ग्राउंड क्लीयरेंस के अलावा टावर बॉडी की अर्थिंग की जाती है। इस सम्बन्ध में शपथ पत्र संग्लन है।
xix.	प्रयोक्ता एजेंसी अपनी लागत पर पक्षियों को तारो से टकराने से बचाने के लिए उपयुक्त अंतराल पर ट्रांसमिशन लाइन के उपरी कन्डक्टर पर पक्षी डिफ्लेक्टर **(Bird deflectors)** लगाएगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xx.	प्रयोक्ता एजेंसी राज्य वन विभाग से विचार-विमर्श करके संचरण लाइन के नीचे मार्गाधिकार में छोटे कद के पौधों, मुख्यरूप से औषधिय पौधों के रोपण, सृजन व रख-रखाव की विस्तृत योजना तैयार करेगी तथा उक्त योजना के निष्पादन के लिए राज्य वन विभाग को धनराशि उपलब्ध करायेगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xxi.	स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xxii.	यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजेंसी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, के अनुसार पर्यावरण अनुमति प्राप्त करेगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xxiii.	परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जायेगा तथा इसके अन्यत्र मलवा नहीं फेका जायेगा।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xxiv.	इस प्रस्ताव को 99 वर्षो के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरांत पुनः यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त करनी होगी। इस अनुमोदन के तहत diversion की अवधि प्रयोक्ता एजेंसी के पक्ष में दी जाने वाली lease की अवधि या परियोजना की अवधि, जो भी कम हो, के सह-समाप्ति होगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xxv.	अन्य कोई भी शर्त इस क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय– समय पर लगाई जा सकती है।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।
xxvi.	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार की जिम्मेवारी होगी।	यदि कोई अन्य सम्बंधित अधिनियम/ अनुच्छेद/ नियम/ न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार से प्राप्त कर ली जाएगी ।
xxvii.	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications), 2019 में उल्लेखित दिशा निर्देश 1.21 के अनुसार कार्यवाई की जायेगी।	इस आशय का एक वचन पत्र प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपलोड कर ली है।

I/302959/2023

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

Signed by
Sanjay Sood
Date: 21-12-2023 15:37:47

नोडल अफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल, (एफ0सी0ए0)हि0प्र0